न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/681

1. डूंगरसी राम पुत्र स्व0 मोतीराम मीना बालिग निवासी ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

—अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति कल्ली देवी पत्नि श्री गुमान सिंह कथित पुत्री मोतीराम निवासी ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी हाल रामसिंहपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत लालगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

—रेस्पोडेण्ट्स

3. जगदीश पुत्र ग्यारसा मीना
4. मांगीलाल पुत्र ग्यारसा मीना
5. गोपाल पुत्र ग्यारसा मीना
6. ग्यारसी बेवा ग्यारसा मीना (नाम हजफ) निवासीगण ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. अनोखी देवी पत्नि गेन्दा
8. जमना देवी पत्नि गैन्दा निवासीगण लाखना रोड मीणो की ढाणी ग्राम वाटिका तहसील सॉगानेर जिला जयपुर।

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण आदेश दिनांक 29.11.2024 अपील संख्या 2/2022 उनवानी श्रीमती कल्ली बनाम ग्राम पंचायत लालगढ विरूद्ध नामा0 संख्या 430 दिनांक 05.09.2012 ग्राम पंचायत लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर।

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/682

1. डूंगरसी राम पुत्र स्व0 मोतीराम मीना बालिग निवासी ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

—अपीलांट

बनाम

संभागीय आयुक्त जयपुर

1. श्रीमति कल्ली देवी पत्नि श्री गुमान सिंह कथित पुत्री मोतीराम निवासी ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी हाल रामसिंहपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत लालगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

—रेस्पोडेण्ट्स

3. जगदीश पुत्र ग्यारसा मीना
4. मांगीलाल पुत्र ग्यारसा मीना
5. गोपाल पुत्र ग्यारसा मीना

6. ग्यारसी बेवा ग्यारसा मीना (नाम हजफ) निवासीगण ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण आदेश दिनांक 29.11.2024 अपील संख्या 1/2022 उनवानी श्रीमती कल्ली बनाम ग्राम पंचायत लालगढ विरूद्ध नामा0 संख्या 46 दिनांक 16.05.1982 ग्राम पंचायत लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर।

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/683

1. डूंगरसी राम पुत्र स्व0 मोतीराम मीना बालिग निवासी ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

–अपीलांट

बनाम

1 श्रीमति कल्ली देवी पत्नि श्री गुमान सिंह कथित पुत्री मोतीराम निवासी ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी हाल रामसिंहपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

2 ग्राम पंचायत लालगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण आदेश दिनांक 29.11.2024 अपील संख्या 3/2022 उनवानी श्रीमती कल्ली बनाम ग्राम पंचायत लालगढ विरूद्ध नामा0 संख्या 67 दिनांक 01.09.1983 ग्राम पंचायत लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर।

उपस्थित–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री जितेन्द्र पारीक वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–04.08.2025

1. उक्त तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण के निर्णय दिनांक 29.11.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। तीनों प्रकरणों में विवादित आराजी, विषयवस्तु एवं अपीलाधीन आदेश समान होने से दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष ग्राम पंचायत लालगढ द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 05.09.2012 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा अपील स्वीकार किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी के निर्णय दिनांक 29.11.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती कल्ली देवी ने अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 430 दिनांक 05.09.2012, नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 16.05.1982, नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 01.09.1983 के विरूद्ध अपील पेश कर कथन किया कि ग्राम डिडोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 2.06 है0, 109 रकबा 0.10 है0, 123 रकबा 0.02 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 है0 जिसका नामान्तकरण संख्या 430 दिनाक 05/09/2012 को ग्राम पंचायत लालगढ द्वारा गलत तरीके से खोला गया एवं कल्ली देवी ने अपना 1/2 हक व हिस्सा यह कहते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का देहान्त वर्ष 1979 में हो गया, एवं उसके कोई सन्तान नहीं है एवं कल्ली देवी ही एक मात्र मालिक है एवँ माता गोविन्दी स्व0 मोती के जीवनकाल में ही नाते चली गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र श्रीमती कल्ली देवी के अभिवचनो के आधार पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अपील स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व प्रविष्ठि में नाम अकंन करने का जो गैरकानूनी आदेश पारित किया हैं वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के दादा छोट्या पुत्र लक्खा थें । छोट्या पुत्र लक्खा की मृत्यु पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उसके जायन्दा पुत्र ग्यारसा व मोती पुत्रान छोट्या के नाम अंकित हो गई। मोती पुत्र छोट्या सन्तान उत्पत्ति योग्य नहीं होने से उनके कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। मोती की पत्नि मोती के जीवनकाल में नाते चली गई। मोती ईश्युलैस फौत हुआ । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मीणा जाति में लागू नहीं होता है बल्कि उनकी रूढि प्रथा लागू होती है । अतः मीणा जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को हक अधिकार नहीं दिये गये हैं ना ही मीणा जाति में लडकियों (पुत्रियों) को मृतक के वारिस उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। जिससे मृतक मोती की सम्पत्ति उसके भाई ग्यारसा के रहेगी। नामान्तकरण को कल्ली देवी मोती की फर्जी पुत्री बनकर नामान्तकरण को चुनौती दी है, जो सिद्धान्तों के विपरित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती कल्ली देवी का किसी भी प्रकार का अपीलाधीन आराजी पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं रहा है एवँ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोती की पुत्री नहीं है । इस सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज

संभागीय आयुक्त
जयपुर

भी नहीं है । अपीलान्ट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में मीणा समाज के रूडीगत रीति रिवाज के भी अवहेलना की है। नामान्तकरण की कार्यवाही चूंकि एक फोरी कार्यवाही होती है जिसके बाबत केवल मात्र राजस्व प्रविष्ठियों में सुधार के लिए राजस्व वाद ही मेन्टेलेवल है। घोषणा का आदेश नामान्तकरण की अपील में पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 अवधी अधिनियम के बाबत निर्णय अपील के निस्तारण से पूर्व किया जाना एक आज्ञात्मक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के निस्तारण से पूर्व धारा 5 अवधी अधिनियम बाबत न तो कोई सुनवाई की ना ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया एवं बाला–बाला ही अपील के निर्णय में धारा 5 अवधी अधिनियम का निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 29.11.2024 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम ढिंढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा 64 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा के हिस्सा 1/2 अपीलांट कल्ली के पिता स्व० मोती पुत्र छोट्या उर्फ जगन कोम मीणा की कब्जे एवं खातेदारी की भूमि अन्य दिगर भूमि साथ रही है। अपीलाण्ट के पिता मोती का देहावसान 1979 को हो गया। स्व० मोती के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी । उनके एक मात्र पुत्री सन्तान कल्ली पुत्री मोती ही है। गोविन्दी पत्नि मोती के जीवन काल में ही नाते चली गई। स्व० मोती की मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त विरासत का नामान्तकरण उनकी एक मात्र पुत्री कल्ली देवी के नाम स्व० मोती की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस व उत्तराधिकारी होने के कारण हिन्दू लॉ के तहत नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था, परन्तु रेस्पोडेप्ट व उनके पिता एवं पति स्व० ग्यारसा पुत्र छोट्या ने सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ व राजस्व कर्मचारियों से साज कर मोती की विरासत का नामान्तकरण उसकी विधिक वारिस के नाम तस्दीक न कराकर अपने नाम अवैध रूप से फर्जकारी कर नाऔलाद फौत बताते हुए तथा लड़का व लडकी न होना बताते हुए अपने नाम ग्यारसा पुत्र छोटू ने तस्दीक करा लिया। जबकि अपीलांट डूंगरसी पुत्र ग्यारसा ने प्रार्थीया के पिता की भूमि खसरा नम्बर 142/7 रकबा 13 बीघा वाके ग्राम ढिंढोल का नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 01.09.83 को फर्जी पुत्र बनकर अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा एक ओर रेस्पोडेण्ट 2 लगायत 6 के पिता मोती पुत्र छोटू के कोई सन्तान होना बताते हैं, वहीं दूसरी ओर डूंगरसी उसका पुत्र बनकर नामान्तकरण तस्दीक करवा रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा विधिवत् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार मोती पुत्र छोट्या उर्फ जगन की विरासत को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा ग्राम पंचायत लालगढ द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 430 दिनांक 05.09.2012, नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 16.05.1982, नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 01.09.1983 के विरूद्ध लगभग 42 वर्ष बाद अपील स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरणों को खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रश्नगत आराजी के संबंध में नियमित वाद संख्या 77/2012 विचाराधीन था जिसमें श्रीमती कल्ली देवी के हक–हकूक अधिकार नियमित वाद के जरिये तय किये जाने थे। किन्तु श्रीमती कल्ली देवी द्वारा उक्त नियमित वाद को विड्रो कर लिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैसी समरी कार्यवाही से कल्ली देवी के अधिकार तय किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। चूंकि नामान्तरकरण एक फिसकल प्रौसेडिंग है जिसके तहत् अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित वाद के जरिये ही अधिकारों का निर्धारण किया जाना चाहिए था। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1982, 1983 एवं 2012 के नामान्तरकरणों को निरस्त किये जाने के विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2024 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तकरण संख्या 430 दिनांक 05.09.2012, नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 16.05.1982, नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 01.09.1983 बहाल किये जाते हैं।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर